Chapter 3

bihar board class 9 civics notes – संविधान निर्माण

संविधान निर्माण

अध्याय की मुख्य बातें—किसी लोकतंत्र की सफलता के लिए संविधान का होना आवश्यक माना जाता है। किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं । संविधान के बिना राज्य की कल्पना करना बेमानी है । जैसे—दक्षिण अफ्रीका में लेने संघर्ष के बाद यहाँ के लोगों अपने संविधान का निर्माण किया जो कि पूरी तरह से लोकतांत्रिक है।

संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसे किसी देश के नागरिक स्वभाविक रूप से मानते हैं । संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ-साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध तय होते हैं। संविधान विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है तथा यह सुस्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा तथा उसके अधिकारों की भी सीमा तय करता है एवं अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है

भारत में संविधान निर्माण का कार्य बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच हुआ है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई, 1946 में चुनाव हुए थे जिसकी पहली बैठक 1946 ई० में हुई। इसके 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ ।

हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, अधिकार कर्त्तव्य आदि जैसे मानवीय मूल्यों का समावेश किया गया है। जिसकी झलक हमें इसकी प्रस्तावना में देखने को मिलती है। भारतीय संविधान की सारी धाराएँ इसी के अनुरूप बनी हैं । इस प्रकार, संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खुबसूरत कविता-सी लगती है क्योंकि प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान की आत्मा बसती है

भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात् यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है जिसकी अंतिम शक्ति जनता के पास है। इसके साथ ही यह सर्वाधिक विशाल और व्यापक संविधान है। इसमें 395 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।

संविधान संघात्मक है और संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का इसमें व्यापक रूप से वर्णन किया गया है।

भारतीय संविधान ने भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। अर्थात् सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है। लोकतंत्रात्मक सरकार जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा स्थापित होती है। इसमें समाजवादी सिद्धांत पर बल दिया गया है तथा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलम्बियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

भारतीय संविधान के द्वारा संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। क्योंकि इसके द्वारा ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा उनके कर्तव्यों की रक्षा की जा सकती है।

भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है जिसका पालन करना राज्य का परम

कर्त्तव्य है। इसके ही साथ संविधान के द्वारा सभी भारतीय नागरिकों जिन्होंने भारतीय संसद द्वारा निर्धारित व्यस्कता की उम्र सीमा 18 वर्ष पूरी कर ली है उन्हें मत देने
अधिकार प्राप्त है। यह नागरिकता एकल नागरिकता है जिसमें उसे भारत की नागरिकता प्राप्त की गई है न की प्रांत की।

इस प्रकार सविधान जनता की सोच, मनोभावों और प्रगतिशीलता की अभिव्यक्ति है। जिसमें राष्ट्र की एकता तथा अखंडता तथा नागरिकों का विकास सम्मिलित होता है।

evidyarthi

https://www.evidyarthi.in/